


24/10/19

वादी के वकील आदि / पक्षवादी/पक्ष
के सम्म (15/10/19) को अतिरिक्त कक्षा
देने के अभाव में पत्र नहीं लिखे
गया कि वे से अतिरिक्त कक्षा दिना
गच्छ। उनके कोर्ट कक्षा देना नहीं
होगा। तारीख 15/10/19 तक 7.2.20
के पत्र है।



 सहायक कलेक्टर
 (SDO) बाड़मेर

07.12.20

वादी अथवा वकील वादी अनुवा
वादी एक वकील वादी को बापालम
समय समाप्त तक अलग-2 समय में
तीन बार अवाज लगाई गई।
वादी या वकील वादी उपस्थित
नहीं हुए।

अतः वादी का यह लाम -
अदालत पत्रों अदालत तारीख में अतिरिक्त
रिश्ता बना है।

ज्जाकली सुमार फैलाने होगा
दस्तावेज दफ्तर में।


 सहायक कलेक्टर
 (SDO) बाड़मेर

